अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

1. बिहार का परिचय

बिहार भू–भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड एवं उत्तर में नेपाल से सटी लम्बी अंतराष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2001) से बढ़कर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत की औसत गरीबी से अधिक है। तथापि राज्य ने 2004–05 से 2013–14 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 17.93 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों[1] का विकास दर 15.49 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि[2] 12.94 प्रतिशत की तुलना में 13.96 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2004–05 से 2013–14 के अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर 16.23 प्रतिशत, सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर 14.88 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समय की अवधि में राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। चालू मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2004–05) के वार्षिक विकास की प्रवृति नीचे **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	6108903	7248860	8391691	9388876	10472807
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	162923	203555	243269	296153	343054
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	14.51	24.94	19.51	21.74	15.84

(स्त्रोतः केन्द्र एवं राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिक आँकड़े)

[1] *ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड़, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।*

[2] *सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोवा, तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।*

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2 के भाग 'क'*** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2 के भाग 'ख'*** में दर्शाया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2010 (एफ.आर.बी.एम) बनाया है, जो कि ***परिशिष्ट 1.3 भाग 'क'*** में दर्शाया गया है। एफ. आर. बी. एम. (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति ***परिशिष्ट 1.3*** के ***भाग 'ख'*** में दी गयी है।

1.1.1 राजकोषीय लेन–देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2012–13) की तुलना में चालू वर्ष (2013–14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देन के सारांश को दर्शाता है जबकि चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरण का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2013–14 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
खण्ड–'क' राजस्व					**गैर–योजना**	**योजना**	**योग**
राजस्व प्राप्तियाँ	59566.66	68918.65	राजस्व व्यय	54466.15	43381.02	19096.21	62477.23
कर राजस्व	16253.08	19960.68	सामान्य सेवाएँ	18645.11	21896.37	122.10	22018.47
करेत्तर राजस्व	1135.27	1544.83	सामाजिक सेवाएँ	23107.37	12680.96	13713.89	26394.85
संघीय कर/ शुल्कों का अंश	31900.39	34829.11	आर्थिक सेवाएँ	12709.96	8799.84	5260.22	14060.06
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	10277.92	12584.03	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.71	3.85	0.00	3.85
खण्ड–'ख' पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	9584.52	96.64	13904.36	14001.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24.70	15.03	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	2085.95	109.83	697.55	807.38
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9553.96	9907.09	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3069.96			3119.56
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00			0.00
आकस्मिकता निधि	2250.00	1450.43	आकस्मिकता निधि	2250.00			1450.43
लोक लेखा प्राप्तियाँ	27066.21	33457.78	लोक लेखा संवितरण	24798.82			29452.57
प्रारंभिक नकद शेष	1509.45	3715.58	अंतिम नकद शेष	3715.58			6156.39
योग	**99970.98**	**117464.56**	**योग**	**99970.98**			**117464.56**

(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, 2013–14)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 15.70 प्रतिशत (₹ 9351.99 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अपने कर राजस्व में 22.81 प्रतिशत (₹ 3707.60 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 9.18 प्रतिशत (₹ 2928.72 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

- राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 19960.68 करोड) तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 11933.07 करोड़) से 62.27 प्रतिशत (₹ 8027.61 करोड) अधिक तथा बजट प्राक्कलन (₹ 20962.70 करोड़) से 4.78 प्रतिशत (₹ 1002.02 करोड़) कम था। अपने कर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण माल एवं यात्री कर में 125.10 प्रतिशत (₹ 2417.00 करोड़), मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में 24.80 प्रतिशत (₹ 539.00 करोड़), राज्य उत्पाद में 30 प्रतिशत (₹ 738.00 करोड़) तथा वाहन कर में 24.37 प्रतिशत (₹ 164.00 करोड़) की वृद्धि है ।

- पूर्व वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व (₹ 1544.83 करोड़) 36.08 प्रतिशत (₹ 409.56 करोड़) से अधिक हो गया । यद्यपि करेत्तर राजस्व 54.78 प्रतिशत (₹ 1871.25 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 3416.08 करोड़) से कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 2132.49 करोड़) के निर्धारण से 27.56 प्रतिशत (₹ 587.66 करोड़) नीचे था। करेत्तर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के योगदान तथा वसूली में क्रमशः ₹ 249.14 करोड़ तथा ब्याज प्राप्ति में ₹ 102.36 करोड़ की वृद्धि था ।

- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 62477.23 करोड़) में 14.71 प्रतिशत (₹ 8011.08 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओ पर व्यय में 18.09 प्रतिशत (₹ 3373.36 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 14.23 प्रतिशत (₹ 3287.48 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 10.62 प्रतिशत (₹ 1350.10 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 73257.62 करोड़) से 14.72 प्रतिशत (₹ 10780.39 करोड़) कम था।

- वर्ष 2013–14 के तुलना में गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 15.43 प्रतिशत (₹ 5810.83 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 25.08 प्रतिशत (₹ 6616.73 करोड़) की वृद्धि हुई।

- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 39.15 प्रतिशत (₹ 9.67 करोड़) की कमी हुई। इसी प्रकार ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 61.29 प्रतिशत (₹ 1278.57 करोड़) की कमी हुई। परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में संवितरण में ₹ 1288.24 करोड़ की निवल कमी हुई।

- वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 46.08 प्रतिशत (₹ 4416.48 करोड़) की वृद्धि हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियों में 23.61 प्रतिशत (₹ 6391.57 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 18.77 प्रतिशत (₹ 4653.75 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामतः पूर्व वर्ष की तुलना में लोक लेखा में ₹ 1737.82 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 3.70 प्रतिशत (₹ 353.13 करोड़) की वृद्धि हुई परिणामतः इसके पुनर्भुगतान में 1.62 प्रतिशत (₹ 49.60 करोड़) की वृद्धि हुई जिसके कारण लोक ऋण में ₹ 303.53 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

- इन लेन–देन के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 65.69 प्रतिशत (₹ 2440.81 करोड़) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बिहार सरकार ने बिहार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 बनाया। एफ. आर. बी. एम. अधिनियम, 2006 का संशोधन वर्ष 2010 में किया गया तथा इसका नाम बिहार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 रखा गया।

इस अधिनियम के अनुपालन में, राज्य सरकार ने छः वर्ष विलंब के पश्चात् वर्ष 2013–14 की अवधि में प्रक्षेपण हेतु एक मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम टी एफ पी) फरवरी 2014 में बनाया था। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य को राजस्व घाटा दूर करना था तथा राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के तीन प्रतिशत के भीतर रखना था।

एफ. आर. बी. एम. अधिनियम 2006 की धारा (12) निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने हेतु अधिसूचना जारी कर नियम बनाएगी। परन्तु सितम्बर 2014 तक अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाया गया।

तालिका 1.3: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय परिवर्ती कारक	2013-14				
	राज्य हेतु तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफ आर बी एम अधिनियम में विहित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/एम टी एफ पी में बनाये गये प्रक्षेपण	वास्तविकी
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	6808.85	6808.85	6441.42
राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत में)	3.00	3.00	2.79	2.79	1.88
जी.एस.डी.पी. की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	43.00	43.00	21.18	20.96	25.34

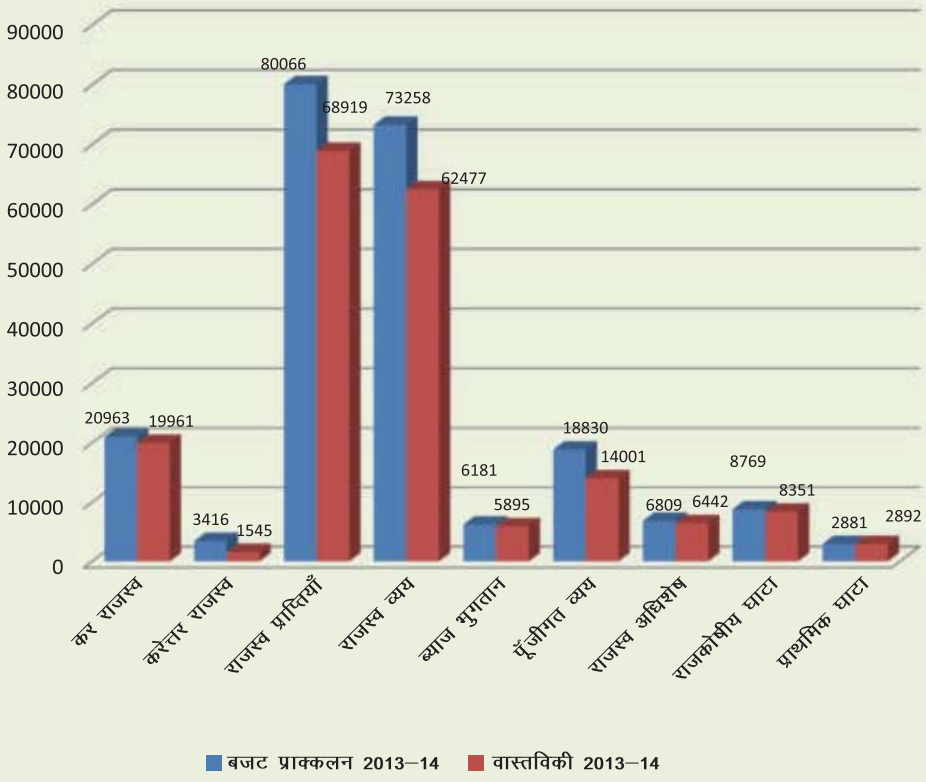
(स्त्रोतः वर्ष 2013–14 के लिए तेरहवाँ वित्त आयोग, एफ आर बी एम अधिनियम, बजट तथा एम टी एफ पी आँकड़े)

राज्य सरकार को वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक राजस्व अधिशेष हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा एफ आर बी एम अधिनियम के विहित सीमा के भीतर ही रहा।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के प्रक्षेपण अथवा प्राक्कलन का विवरण प्रदान करता है। राजस्व तथा व्यय के आकलन में विशुद्धता की महत्ता समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते है। बजट प्राक्कलन से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा इष्टतम उपयोग नहीं होने का सूचक है। **चार्ट 1.1** वर्ष 2013–14 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकी को प्रस्तुत करता है जिसे नीचे दर्शाया गया है। बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में भी दिया गया है।

चार्ट 1.1: बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः बजट तथा राज्य का वित्त लेखा, 2013–14)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरूद्ध वास्तविक आँकड़ो में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिसकी समीक्षा नीचे की गयी हैः

- राजस्व प्राप्तियाँ, बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 11147 करोड़ (14 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण ₹ 1871 करोड़ (55 प्रतिशत) के करेत्तर राजस्व तथा कर राजस्व में ₹ 1002 करोड़ (पाँच प्रतिशत) का बजट प्राक्कलन की तुलना में कमी होना हैं।
- राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय, बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 10780 करोड़ (15 प्रतिशत) एवं ₹ 4829 करोड़ (26 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 117.09 करोड़ सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 24.21 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 54.90 करोड़ का कम व्यय था।
- राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 367 करोड़ (पाँच प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 11147 करोड़ की कमी तथा राजस्व व्यय में बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 10781 करोड़ की कमी था।
- बजट प्राक्कलन (₹ 8769 करोड़) में किये गये प्रक्षेपण से राजकोषीय घाटा ₹ 418 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण राजस्व अधिशेष में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1341 करोड़ की अधिकता थी।
- बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक घाटा में ₹ 11 करोड़ की कमी हो गयी।

1.1.4 जेन्डर बजटिंग

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से जेन्डर बजटिंग की शुरूआत की गयी है। पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से महिलाओं के लाभ पर व्यय हेतु योजनाओं को राज्य के जेन्डर बजट में शामिल किया गया है।

जेन्डर बजट दस्तावेज में आवंटन एवं उसकी उपयोगिता का वर्षवार विवरण **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: वर्ष 2008–14 के दौरान जेन्डर बजटीय आवंटन एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	के तहत उपव्यय			के तहत व्यय			उपयोग की प्रतिशतता
	श्रेणी 1	श्रेणी 2	योग	श्रेणी 1	श्रेणी 2	योग	
2008-09	1115.85	3727.01	**4842.86**	907.27	1765.22	**2672.49**	55
2009-10	1949.14	2321.89	**4271.03**	1506.80	2115.98	**3622.78**	85
2010-11	1805.72	3481.91	**5287.63**	1678.78	3478.52	**5157.30**	98
2011-12	2189.85	5979.44	**8169.29**	2005.04	3996.16	**6001.20**	73
2012-13	2622.80	6488.48	**9111.28**	1907.51	5923.77	**7831.28**	86
2013-14	3130.60	8250.00	**11380.60**	2569.54	6387.67	**8957.21**	79

(स्त्रोतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ)
(श्रेणी 1– महिलाओं के लाभ के लिए 100 प्रतिशत आंवटन हेतु योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान)
(श्रेणी 2– महिलाओं के लाभ के लिए 30 प्रतिशत आंवटन हेतु योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि उक्त अवधि के दौरान महिलाओं के लाभ हेतु उद्दिष्ट निधि का उपयोग 55 से 98 प्रतिशत किया गया था।

हालांकि, जेन्डर बजट के तहत् योजनाओं के पर्याप्त क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार के राज्य स्तर पर कोई समर्पित जेन्डर बजट कोषांग का गठन नहीं किया गया है। राज्य सरकार, जेन्डर बजट के लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदान करने की स्थिति में नहीं था। लाभार्थियों के ब्यौरा के अभाव में, यह निश्चय नहीं हो सका कि जेन्डर बजट राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए सहायक था।

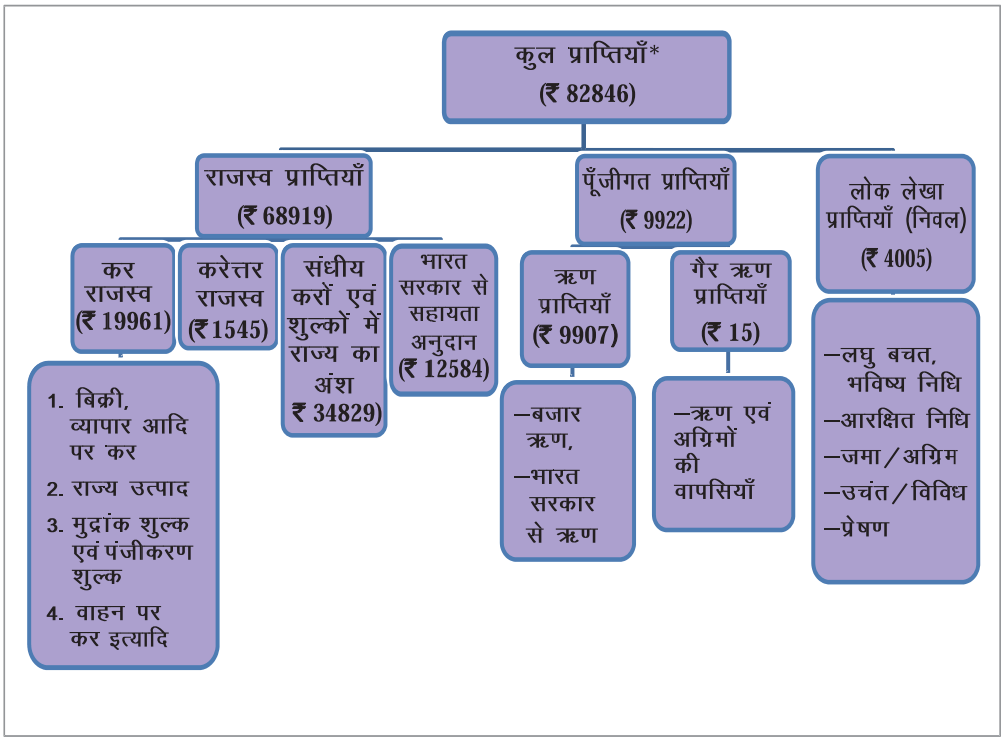
1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के आधार पर राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन, प्राप्तियों के दो प्रवाह–राजस्व और पूँजीगत से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्ति तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संवितरण के पश्चात् लोक लेखा में उपलब्ध निधि का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्त पोषण में किया गया। जैसा कि वार्षिक वित्त लेखा में अभिलिखित है, **तालिका 1.2** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ तथा संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.2** वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृति को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप–घटक

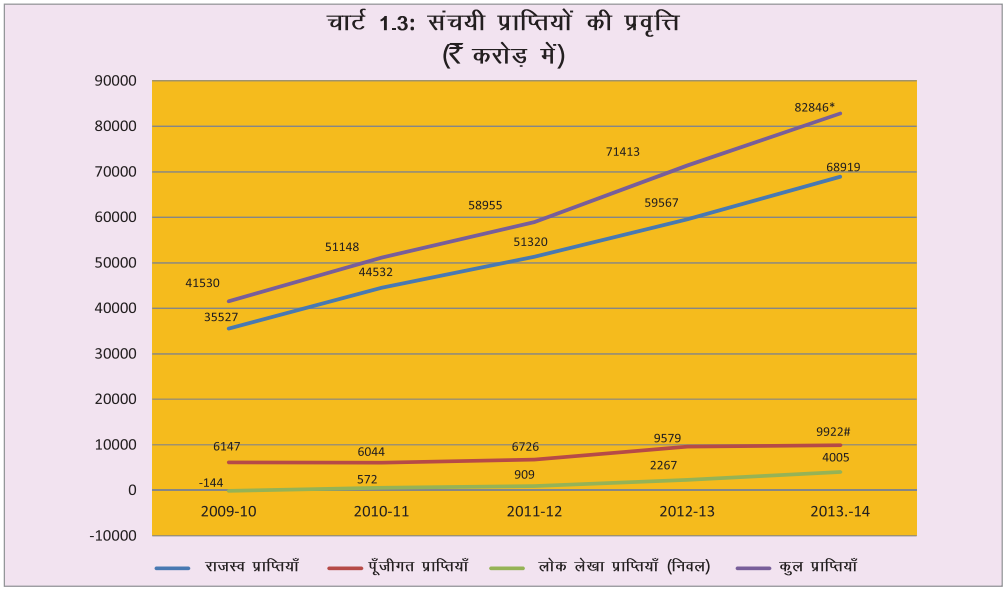
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2013–14)

* *कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल हैं ।*

चार्ट 1.3 वर्ष 2009–14 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृति को प्रदर्शित करता है तथा **चार्ट 1.4** वर्ष 2013–14 के दौरान इनके प्राप्तियों के घटक को इंगित करता हैं ।



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

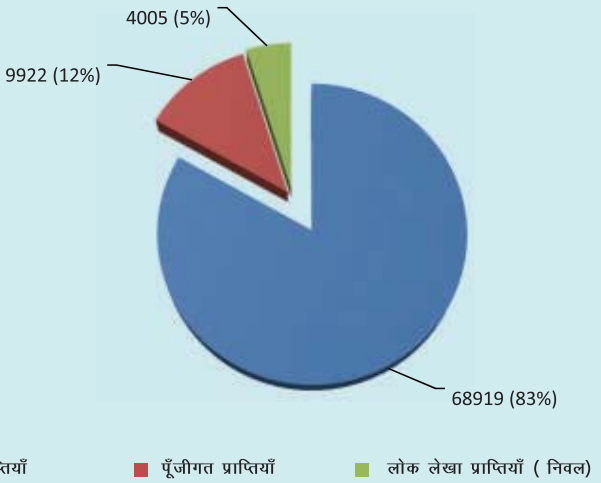
* *कुल प्राप्तियों में, राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल है ।*

\# *पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन शामिल है ।*

कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2009–10 में ₹ 41530 करोड़ से 99 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 82846 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में ₹ 11433 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित **चार्ट** वर्ष 2013–14 के कुल प्राप्तियों (₹ 82846 करोड़) की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियों के घटक की स्थिति को दर्शाता है ।

चार्ट 1.4: वर्ष 2013–14 के दौरान संचयी प्राप्तियों की प्रवृत्ति
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, 2013–14)

वर्ष 2013–14 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 83 प्रतिशत था तथा यह वर्ष 2012–13 के ₹ 59567 करोड़ से 16 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 68919 करोड़ हो गया।

वर्ष 2013–14 में पूँजीगत प्राप्तियों, का अंश कुल प्राप्तियों का 12 प्रतिशत था तथा यह चार प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 के ₹ 9579 करोड़ से वर्ष 2013–14 में ₹ 9922 करोड़ हो गया ।

लोक लेखा प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए सरकार लोक धन हेतु बैंकर/न्यासी की भूमिका अदा करती है। उपर्युक्त चार्ट में औसतन यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान यह कुल प्राप्तियों का पाँच प्रतिशत था। वर्ष 2013–14 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में लोक लेखा प्राप्तियों (निबल) में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[3] को हस्तांतरित किया जाता है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि वर्तमान प्रक्रिया में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती है, और सरकार के लेखे में प्रदर्शित नहीं हो पाती है। इस प्रकार, राज्य का वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संसाधनों का पूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण ***परिशिष्ट 1.6*** में दर्शाया गया है।

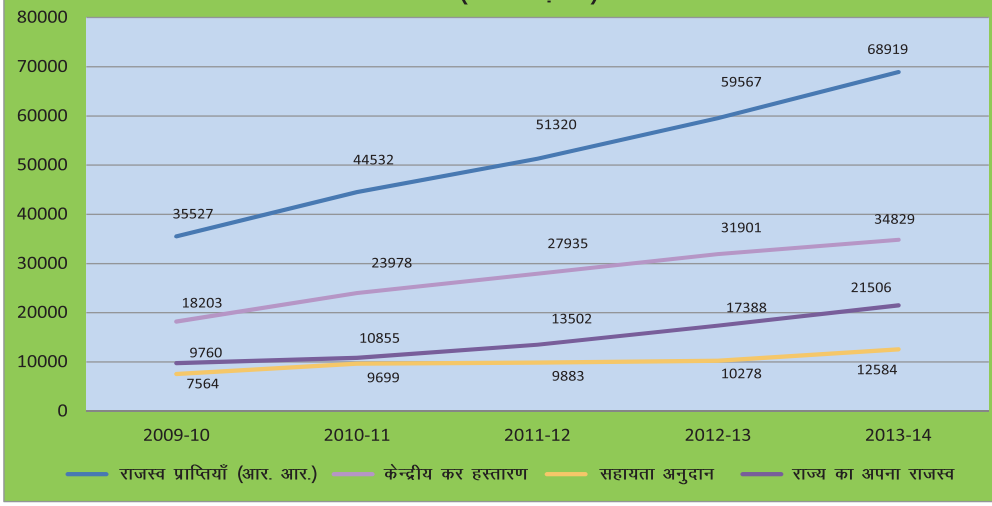
[3] *राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ सहित वैसी गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।*

वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 9464.50 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक था। मुख्य प्राप्तकर्ता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (ड़ी.आर.डी.ए.) (₹ 4606.37 करोड़ अर्थात् 49 प्रतिशत), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (₹ 2610.13 करोड़ अर्थात् 28 प्रतिशत) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 725.72 करोड़ अर्थात् आठ प्रतिशत) थे।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

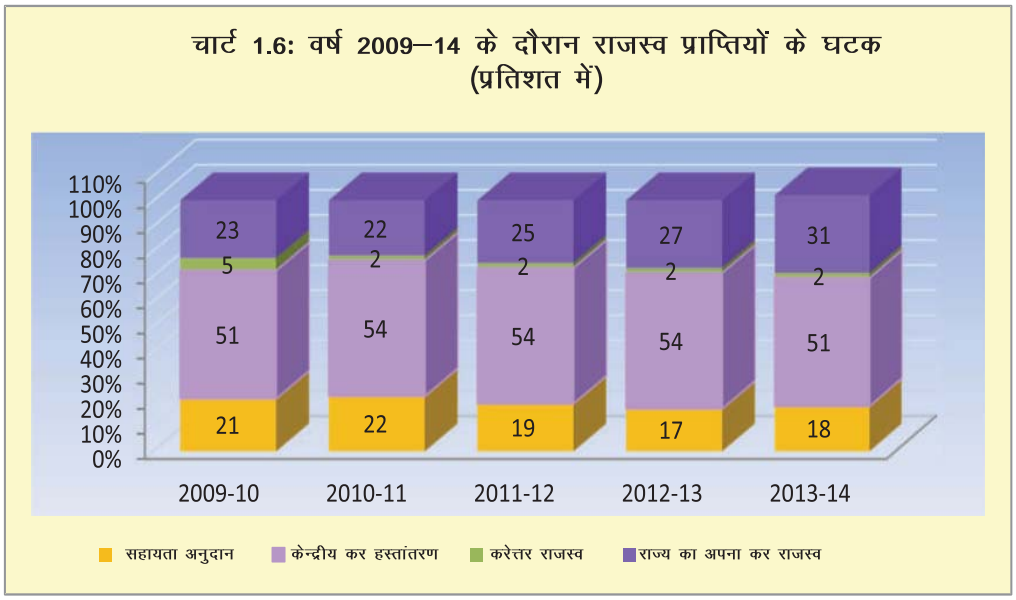
वित्त लेखा का विवरण–11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2009–14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः ***परिशिष्ट 1.7*** तथा **चार्ट 1.5** तथा **1.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: वर्ष 2009–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.6: वर्ष 2009–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक (प्रतिशत में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.5 तथा 1.6 से प्रदर्शित होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2009–10 में ₹ 35527 करोड़ से वर्ष 2013–14 में ₹ 68919 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2009–10 में 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 18 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के अपने स्रोत में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश वर्ष 2009–14 के दौरान 22 प्रतिशत से 31 प्रतिशत के बीच रहा। राज्य ने केन्द्रीय कर हस्तांतरण का उच्च विकास दर हासिल किया जो यह वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक 54 प्रतिशत रहा, केवल वर्ष 2009–10 तथा 2013–14 के दौरान यह 51 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में करेत्तर राजस्व वर्ष 2009–10 में पाँच प्रतिशत था परन्तु यह वर्ष 2010–11 से 2013–14 के बीच घटकर दो प्रतिशत पर स्थिर हो गया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.5** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**35527**	**44532**	**51320**	**59567**	**68919**
राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.72	25.35	15.24	16.07	15.70
राज्य का अपना कर	8090	9870	12612	16253	19961
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	31.05	22.00	27.78	28.87	22.81
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	162923	203555	243269	296153	343054
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.51	24.94	19.51	21.74	15.84
आर. आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	21.81	21.88	21.10	20.11	20.09
उत्पलावकता अनुपात[4]					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता	0.53	1.02	0.78	0.74	0.99
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना कर उत्पलावकता	2.14	0.88	1.42	1.33	1.44

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2009–14 के दौरान दो अंको में रहा सिवाय वर्ष 2009–10 (7.72 प्रतिशत) यह वर्ष 2010–11 के 25.35 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 15.70 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2009–10 तथा 2013–14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पलावकता अनुपात 0.88 प्रतिशत से 2.14 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता हैं, संसाधन के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन स्वयं कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए।

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य सरकार के बजट प्रक्षेपण को नीचे की **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: वर्ष 2013–14 के दौरान प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	11933.07	20962.70	19960.68
करेत्तर राजस्व	2132.49	3416.08	1544.83

(स्रोतः राज्य वित्त लेखा, बजट तथा तेहरवें वित्त आयोग के आँकड़े)

[4] *उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। जैसे–राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा।*

यद्यपि राज्य का कर राजस्व वर्ष 2013–14 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 8027.61 करोड़ ज्यादा तथा बजट प्रक्षेपण से ₹ 1002.02 करोड़ कम था तथापि करेत्तर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण तथा राज्य के प्रक्षेपण से चिंताजनक रूप से क्रमशः ₹ 587.66 करोड़ तथा ₹ 1871.25 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेपण को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2013–14 में करेत्तर राजस्व संग्रह पूर्व वर्ष से ₹ 409.56 करोड़ अधिक था जो मुख्यतः पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ में योगदान तथा वसूली में ₹ 249.14 करोड़ की तथा ब्याज प्राप्तियों में ₹ 102.36 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

1.3.1.1 कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 147 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 8090 करोड़ से वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 19961 करोड़ हो गया। वृद्धि के मुख्य घटक **तालिका 1.7** तथा **चार्ट 1.7** में दर्शाये गये है।

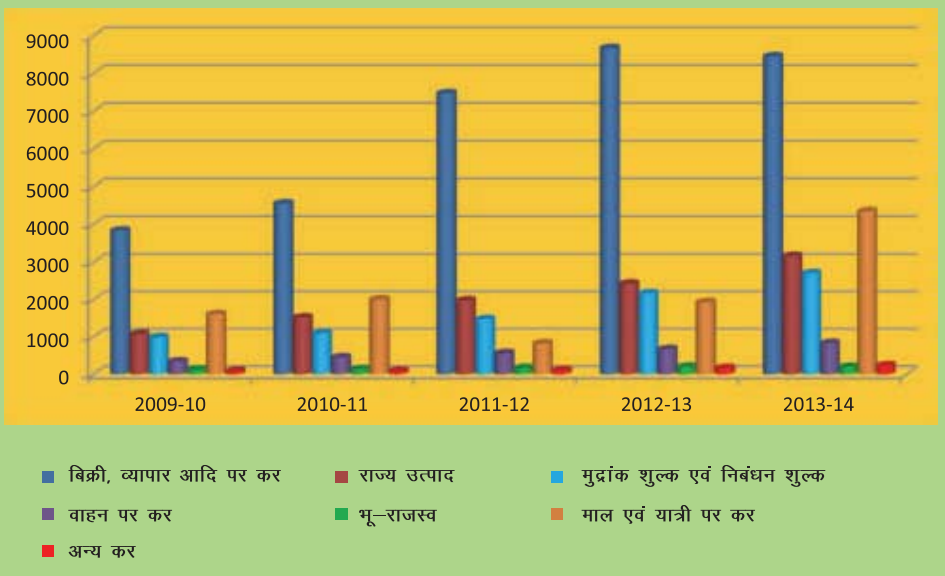
तालिका 1.7: वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य के अपने कर संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3839	4557	7476	8671	8453	(-) 3
राज्य उत्पाद	1082	1523	1981	2430	3168	30
मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क	998	1099	1480	2173	2712	25
वाहन पर कर	345	456	569	673	837	24
भू–राजस्व	124	139	168	205	202	(-) 1
माल एवं यात्री पर कर	1613	2006	828	1932	4349	125
अन्य कर	89	90	110	169	240	42
योग	**8090**	**9870**	**12612**	**16253**	**19961**	**23**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष का राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.7: वर्ष 2009–14 के दौरान कर राजस्व के मुख्य संघटक
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.7 वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट** में कर राजस्व के घटकों के अध्ययन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का मुख्य अंश बिक्री, व्यापार आदि पर कर था तथा यह वर्ष 2009–10 में 48 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 42 प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद का अंश वर्ष 2009–10 के 13 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 16 प्रतिशत हो गया।
- मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क का अंश वर्ष 2009–10 के 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 14 प्रतिशत हो गया।
- वाहनों पर कर का अंश वर्ष 2009–10 से 2013–14 के बीच चार प्रतिशत पर स्थिर रहा, केवल वर्ष 2010–11 को छोडकर।
- माल एवं यात्री पर कर का अंश भी वर्ष 2009–10 में 20 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2013–14 में 22 प्रतिशत हो गया।
- अन्य करों का अंश वर्ष 2009–14 के दौरान एक प्रतिशत पर स्थिर रहा।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2013–14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व (₹ 1545 करोड़) 2.24 प्रतिशत था। करेत्तर राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष से ₹ 410 करोड़ अधिक था। वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व के विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.8** तथा **चार्ट 1.8** में प्रदर्शित किया गया है। करेत्तर राजस्व के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 249 करोड़) तथा ब्याज प्राप्तियों (₹ 102 करोड़) में वृद्धि हुई।

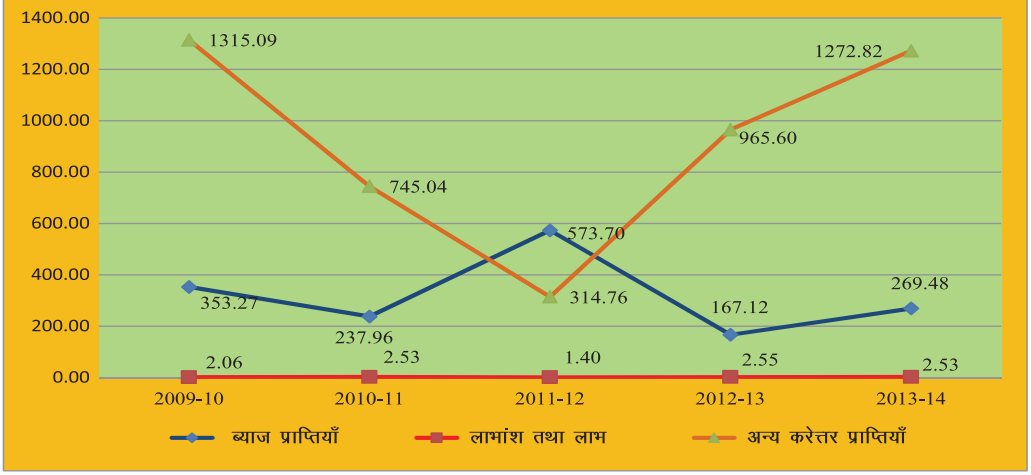
तालिका 1.8 : करेत्तर राजस्व का विकास दर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष (करेत्तर राजस्व)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियाँ	353.27	237.96	573.70	167.12	269.48	61.25
लाभांश एवं लाभ	2.06	2.53	1.40	2.55	2.53	(-) 0.78
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	1315.09	745.04	314.76	965.60	1272.82	31.82
योग	**1670.42**	**985.53**	**889.86**	**1135.27**	**1544.83**	**36.08**

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.8: वर्ष 2009–14 के दौरान करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2009–10 में ₹ 7564.16 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 12584.03 करोड़ हो गया जिसे **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर–योजना अनुदान	2256.20	1924.78	2562.62	2412.58	3288.13
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	3720.97	5456.95	5065.39	5051.97	6238.39
केन्द्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	137.71	175.70	95.78	35.69	136.65
केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	1449.28	2141.13	2159.19	2777.68	2920.86
विशेष योजना मदों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**7564.16**	**9698.56**	**9882.98**	**10277.92**	**12584.03**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशतता	(-) 5.00	28.22	1.90	4.00	22.44
राजस्व प्राप्तियाँ	35527	44532	51320	59567	68919
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान की प्रतिशतता	21.29	21.78	19.26	17.25	18.26

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा अनुदान में ₹ 23061.11 करोड़ की वृद्धि हुई इसका मुख्य कारण केन्द्र प्रायोजित योजना (₹ 143.18 करोड़) हेतु सहायता अनुदान, गैर–योजना (₹ 875.55 करोड़) तथा केन्द्रीय योजनागत योजना (₹ 100.96 करोड़) हेतु अनुदान में वृद्धि था। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान में 2011–12 तथा 2012–13 में कमी हुई लेकिन वर्ष 2013–14 में वृद्धि जो भारत सरकार के अनुदान पर निम्न निर्भरता का सूचक है।

1.3.3 ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं के अंतर्गत ऋण माफी

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय ऋण के ऋण राहत की योजना बनायी गयी जिसे ऋण समेकन एवं राहत सुविधाएँ कहा गया तथा यह राज्य में घाटा की कमी से संबंधित राज्य राजकोषीय निष्पादन पर आधारित था। तेरहवें वित्त आयोग ने इस सुविधा का विस्तार कुछ राज्यों तक किया जिसमें बिहार सरकार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2013–14 के दौरान ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं का लाभ बिहार सरकार ने उठाया। जैसे कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष में ₹ 12.60 करोड़ का ब्याज राहत देना।

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य के संघीय कर का अंश 30.50 प्रतिशत जैसा कि बारहवें वित्त आयोग में अनुशंसा की गयी थी से बढाकर 32 प्रतिशत किया जाना था। राज्य सरकार के संघीय कर निवल प्राप्ति (सेवा कर के सिवा) एवं सेवा कर निवल प्राप्ति का अंश कमशः 10.917 प्रतिशत तथा 11.089 प्रतिशत नियत किया गया हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त संघीय कर का अंश (₹ 34829.11 करोड़) प्राक्कलन (₹ 37980.98 करोड़) से (₹ 3151.87 करोड़) कम था। तथापि पूर्व वर्ष की तुलना में संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के अंश में ₹ 2929 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 255 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 853 करोड़) सेवा कर (₹ 1016 करोड़) तथा सीमा शुल्क (₹ 382 करोड़) के अंतर्गत हुई।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का इष्टतनीकरण

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य को हस्तांतरण के रूप में ₹ 2800.04 करोड़ की अनुशंसा की गयी थी। तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य को हस्तांतरित राशि के वास्तविक विमुक्ति एवं उपयोगिता **तालिका 1.10** में सारांशित किया गया है।

तालिका 1.10: हस्तांतरण एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	हस्तांतरण	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	वास्तविक विमुक्ति	व्यय	अव्यवहृत अनुदान
1.	बुनियादी अनुदान (यू.एल.बी.)	108.86	111.35	111.35	0.00
2.	निष्पादन अनुदान (यू.एल.बी.)	74.36	0.00	0.00	0.00
3.	बुनियादी अनुदान (पी.आर.आई.)	740.77	757.75	757.75	0.00
4.	निष्पादन अनुदान (पी.आर.आई.)	506.04	371.52	371.52	0.00
5.	पथ एवं पुल	119.00	119.00	119.00	0.00
6.	प्रारंभिक शिक्षा	946.00	946.00	946.00	0.00
7.	आपदा राहत	295.41	295.41	295.41	0.00
8.	पर्यावरण (वन) संबंधित अनुदान	9.60	4.06	4.06	0.00
9.	शिशु मृत्यु दर में गिरावट	0.00	10.38	0.00	10.38
योग		**2800.04**	**2615.47**	**2605.09**	**10.38**

(स्त्रोतः बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार द्वारा की गयी विमुक्ति एवं राज्य सरकार द्वारा संबंधित लेखा शीर्ष के तहत् इसकी उपयोगिता से संबंधित उपरोक्त सूचना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि ₹ 2615.47 करोड़ में से ₹ 10.38 करोड़ को छोड़कर ₹ 2605.99 करोड़ (99.60 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2013–14 के दौरान किया गया था। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के लिए सहायता अनुदान की पूर्ण राशि ₹ 10.38 करोड़ अव्यवहृत रही।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2009–10 में ₹ 6148 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 9922 करोड़ (61 प्रतिशत) हो गयी। पूँजीगत प्राप्तियाँ का विकास एवं रचना की प्रवृत्ति **तालिका 1.11** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.11: प्राप्तियों के विकास एवं रचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्त्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर)	6148	6044	6726	9579	9922
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	764.32	781.53	826.56	508.02	549.66
ऋण एवं अग्रिम की वापसियाँ	13	12	23	25	15
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6134	6032	6628	9554	9907
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	03	(-) 2	10	44	04
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	-	-	-	-
जी.एस.डी.पी.	162923	203555	243269	296153	343054
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	14.51	24.94	19.51	21.74	15.84
सी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	04	(-) 2	11	42	04

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

1.4.1 ऋण तथा अग्रिम की वसूली

ऋण तथा अग्रिम की वसूली वर्ष 2012–13 में ₹ 24.70 करोड़ से 39.15 प्रतिशत घटकर वर्ष 2013–14 में ₹ 15.03 करोड़ हो गयी। वसूली मुख्यतः ₹ 0.65 करोड़ के सहकारिता के लिए ऋण, ₹ 0.30 करोड़ के अन्य ऋण तथा ₹ 14.08 करोड़ के सरकारी सेवक को ऋण सम्मिलित है।

1.4.2 आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13 में ₹ 9554 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 9907 करोड़ (चार प्रतिशत) हो गयी जिसमें मुख्यतः ₹ 6500 करोड़ का बाजार ऋण, ₹ 1471 करोड़ का वित्तीय संस्था से ऋण, ₹ 1386 करोड़ के केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ तथा ₹ 550 करोड के राज्य योजनार्गत योजना का ऋण सम्मिलित थी।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)

कुछ निश्चित लेन–देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते है तथा लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा , उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्ति तथा संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते है तथा राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता। यहाँ सरकार एक बैंकर की भूमिका अदा करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है। **तालिका 1.12** वर्ष 2009–14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों (निवल) के घटकों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.12 : लोक लेखा प्राप्तियों के घटक (निवल)

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)					
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 262.86	252.70	(-) 2.13	(-) 215.64	(-) 297.90
ख. आरक्षित निधि	98.31	183.72	572.36	530.89	698.58
ग. जमा एवं अग्रिम	(-) 134.15	50.94	932.91	2199.05	3668.40
घ. उचंत एवं विविध	99.53	4.91	(-) 556.93	(-) 266.52	(-) 44.86
ड. प्रेषण	54.82	79.96	(-) 36.82	19.52	(-) 19.01
योग	(-) **144.35**	**572.23**	**909.39**	**2267.39**	**4005.21**

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) वर्ष 2009–10 में ₹ (-) 144.35 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 4005.21 करोड़ हो गयी। लोक लेखा प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः वर्ष 2013–14 के दौरान जमा एवं अग्रिम में ₹ 3802.55 करोड़ तथा आरक्षित निधि में ₹ 600.27 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

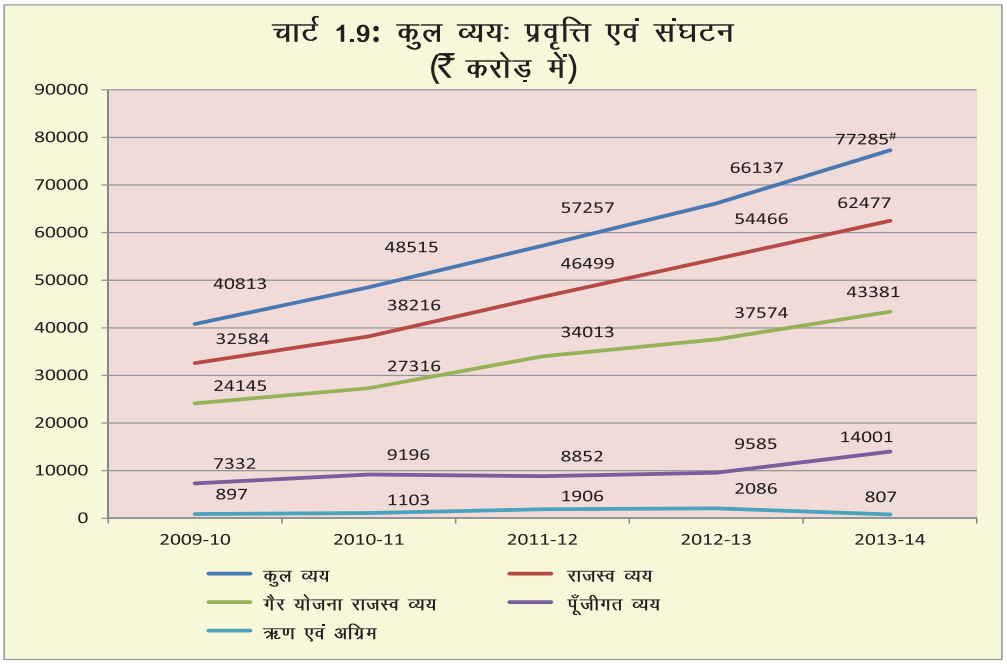
1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी। तथापि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढ़ीकरण, प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

1.6.1 व्यय के संघटन एवं वृद्धि

चार्ट 1.9 पाँच वर्षों (2009–14) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.9: कुल व्ययः प्रवृत्ति एवं संघटन
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, वर्ष 2009–10 में ₹ 40813 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 77285 करोड़ हो गया।

- पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान कुल व्यय में ₹ 11148 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 8011 करोड़ (15 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 4416 करोड़ (46 प्रतिशत) की वृद्धि था।

- मुख्य पूँजीगत व्यय की बढोतरी खाद्य भंडार तथा भंडारण हेतु में 2012–13 के ₹ 34.72 करोड़ से 2013–14 में 404.05 करोड़, विद्युत परियोजनाओं हेतु 2012–13 के ₹ 173.63 करोड़ से 2013–14 में ₹ 1897.48 करोड़ (993 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु 2012–13 के ₹ 258.37 करोड़ से 2013–14 में ₹ 618.15 करोड़ (139 प्रतिशत) थी।

- मुख्य राजस्व व्यय में बढ़ोतरी स्वास्थ्य एवं लोक स्वास्थ्य हेतु 2012–13 के ₹ 151.72 करोड़ से 2013–14 में ₹ 1752.69 करोड़ (1055 प्रतिशत), जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु ₹ 301.58 करोड़ से 2013–14 में 514.23 करोड़ (71 प्रतिशत) तथा सड़क एवं पुलों हेतु ₹ 822.84 करोड़ से 2013–14 में ₹ 1375.10 करोड़ (67 प्रतिशत) थी।

1.6.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्त्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। राजस्व व्यय के आधारभूत मापदण्ड की प्रवृत्ति नीचे **तालिका 1.13** में दर्शायी गयी है।

कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी शामिल नहीं है ।

तालिका 1.13: राजस्व व्यय– आधारभूत मापदण्ड

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय (आर.ई.) जिसमें (₹ करोड़ में)	32584	38216	46499	54466	62477
गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)	24145	27316	34012	37574	43381
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)	8439	10900	12487	16892	19096
वृद्धि दर					
राजस्व व्यय (प्रतिशत)	14.28	17.28	21.67	17.13	14.71
गैर योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	13.72	13.13	24.51	10.47	15.45
योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	15.92	29.16	14.56	35.28	13.05
कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत	79.84	78.77	81.21	82.35	80.84
गैर योजना राजस्व व्यय/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	14.82	13.42	13.98	12.69	12.65
कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशत	59.16	56.30	59.40	56.81	56.13
राजस्व प्राप्तियों में गैर–योजना व्यय का प्रतिशत	67.96	61.34	66.27	63.08	62.94
राजस्व व्यय की उत्पलावकता के साथ					
जी.एस.डी.पी (अनुपात)	0.98	0.69	1.11	0.79	0.93
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.85	0.68	1.42	1.07	0.94

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राजस्व व्यय

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान राजस्व व्यय पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 8011 करोड़ (14.71 प्रतिशत) तथा कुल व्यय का 80.84 प्रतिशत बढ़ गया।

गैर योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2013–14 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 5807 करोड़ (15.45 प्रतिशत) बढ़ गया इसका मुख्य कारण पोषण एवं समाज कल्याण सेवाएँ में ₹ 610.44 करोड़ से (231 प्रतिशत) परिवहन ₹ 552.55 करोड़ से (67 प्रतिशत), तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास ₹ 151.04 करोड़ से (22 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

गैर योजना राजस्व व्यय (₹ 43381 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 53082 करोड़) में किये गये मानकी प्रक्षेप से 18 प्रतिशत कम था। तथापि कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2009–10 में 59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 56 प्रतिशत हो गया।

योजना राजस्व व्यय

योजना राजस्व व्यय वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में ₹ 2204 करोड़ (13.05 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण ऊर्जा हेतु ₹ 48.92 करोड़ (4573 प्रतिशत), परिवहन हेतु ₹ 2.79 करोड़ (498 प्रतिशत) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु ₹ 73.58 करोड़ (116 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय वृद्धि था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन तथा मजदूरी का व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी शामिल है। **तालिका 1.14** तथा **चार्ट 1.10** वर्ष 2009–14 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।

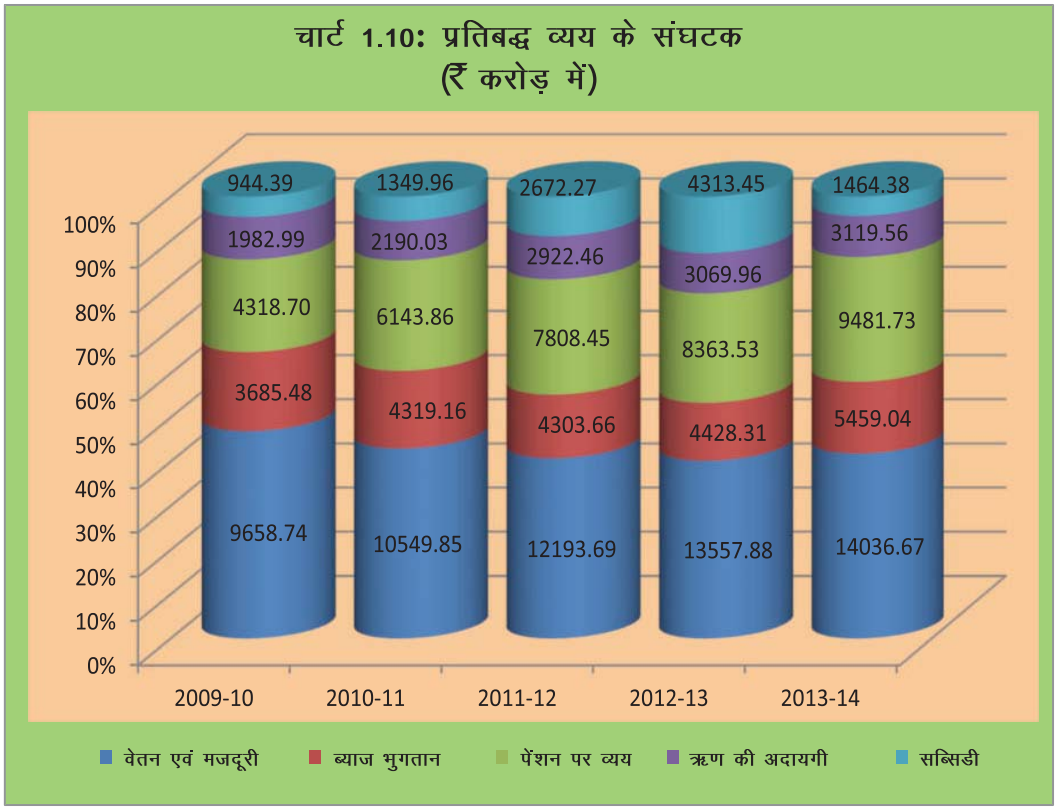
तालिका 1.14: वर्ष 2009–14 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
						बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	9658.74 *(27.19)*	10549.85 *(23.69)*	12193.69 *(23.76)*	13557.88 *(22.76)*	17676.17	14036.67 *(20.37)*
1 (क)	गैर–योजना शीर्ष	*9001.42 (25.34)*	*9954.35 (22.35)*	*11494.50 (22.40)*	12865.06 *(21.60)*	16836.92	13315.36 *(19.32)*
1 (ख)	योजना शीर्ष	*657.32 (1.85)*	*595.51 (1.34)*	*699.19 (1.36)*	692.82 *(1.16)*	839.25	721.31 *(1.05)*
2	ब्याज भुगतान	3685.48 *(10.37)*	4319.16 *(9.70)*	4303.66 *(8.39)*	4428.31 *(7.43)*	5887.97	5459.04 *(7.92)*
3	पेंशन पर व्यय	4318.70 *(12.16)*	6143.86 *(13.80)*	7808.45 *(15.22)*	8363.53 *(14.04)*	11274.04	9481.73 *(13.76)*
4	ऋण की अदायगी	1982.99 *(20.53)*	2190.03 *(20.76)*	2922.46 *(23.97)*	3069.96 *(5.15)*	3238.73	3119.56 *(4.53)*
5	सब्सिडी	944.39 *(2.66)*	1349.96 *(3.03)*	2672.27 *(5.21)*	4313.45 *(7.24)*	0.00	1464.38 *(2.12)*
6	**योग (1+2+3+4+5)**	**20590.30** ***(57.96)***	**24552.86** ***(55.13)***	**29900.53** ***(58.26)***	**33733.13** ***(56.63)***	**38076.91**	**33561.38** ***(48.70)***
7	अन्य संघटक	11993.87 *(33.76)*	13663.06 *(30.68)*	16598.96 *(32.34)*	20733.02 *(34.81)*	35180.71	28915.85 *(41.96)*
8	**राजस्व व्यय**	**32584.17**	**38215.92**	**46499.49**	**54466.15**	**73257.62**	**62477.23**
9	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**35526.83**	**44532.32**	**51320.17**	**59566.66**	**80066.47**	**68918.65**

कोष्ठक में दिये गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता प्रदर्शित करते है।

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा तथा वर्ष 2013–14 का बजट)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

वेतन पर व्यय

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वेतन पर व्यय वर्ष 2012–13 में 22.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 के दौरान 20.37 प्रतिशत हो गयी । वेतन पर ₹ 14036.67 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग के अवलोकन (₹ 10891.89 करोड़) से ₹ 3144.78 करोड़ अधिक था परन्तु बजट प्राक्कलन (₹ 17676.17 करोड़) से ₹ 3639.50 करोड़ कम था।

पेंशन भुगतान पर व्यय

पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2009–10 में ₹ 4318.70 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 9481.73 करोड़ हो गया अर्थात् ₹ 5163.03 करोड़ (120 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान केवल पेंशन भुगतान ही राज्य के राजस्व प्राप्ति का 14 प्रतिशत था तथा पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1118.20 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पर व्यय (₹ 5459.04 करोड़) पिछले वर्ष से 23.28 प्रतिशत अधिक था। राजस्व प्राप्तियों की ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2009–10 में 10.37 प्रतिशत से घटकर 2013–14 में 7.92 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2013–14 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 5459.04 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग (₹ 5528.62 करोड़) तथा बजट प्राक्कलन (₹ 5887.97 करोड़) द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर्गत था।

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता वर्ष 2009–10 में 20.53 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 4.53 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट प्राक्कलन (₹ 3238.73 करोड़) से ₹ 119.17 करोड़ (3.68 प्रतिशत) की सामान्य कमी हुई।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान न केवल प्रत्यक्ष परन्तु परोक्ष रूप से भी अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है की कम वसूली, अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 1464.38 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 66.05 प्रतिशत कम था तथा राजस्व प्राप्ति का 2.12 प्रतिशत था। इसमें से, ए.एम.जी./एम.एम.जी/वैट[5]/ अस्थगित राशि/पूँजीगत सब्सिडी/डीजल जेनरेटर सेट सब्सिडी आदि के संवितरण हेतु ₹ 405.92 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा0कृ0वि0यो0) हेतु ₹ 326.94 करोड़, कृषि यांत्रीकरण के संवर्धन हेतु ₹ 144.30 करोड़ तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु ₹ 114.48 करोड़ प्रदान किये गये। वर्ष 2013–14 के दौरान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का सब्सिडी पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 275.04 करोड़ अधिक था।

अंतर्निहित सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा अंतर्निहित सब्सिडी पर की गयी व्यय का वर्णन नीचे **तालिका 1.15** में किया गया है:

तालिका 1.15: वर्ष 2013–14 में दिया गया अंतर्निहित सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना का नाम	व्यय
1.	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (प्राथमिक शिक्षा)	374.61
2.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (प्राथमिक शिक्षा)	224.90
3.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (माध्यमिक शिक्षा)	119.50

[5] *ए.एम.जी.–वार्षिक निम्नतम गारंटी, एम.एम.जी.–मासिक निम्नतम गारंटी, वी.ए.टी.–मूल्य वर्धित कर।*

क्रम. सं.	योजना का नाम	व्यय
4.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (माध्यमिक+2शिक्षा)	35.98
5.	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना (माध्यमिक शिक्षा)	139.67
6.	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (माध्यमिक शिक्षा)	140.67
7.	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना (अ0जा0 के लिए माध्यमिक शिक्षा)	26.69
8.	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (अ0जा0 के लिए माध्यमिक शिक्षा)	23.76
योग		**1085.78**

(स्त्रोतः शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका 1.15 में देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को पोशाक एवं साइकिल प्रदान करने के लिए ₹ 1085.78 करोड़ का व्यय किया गया।

1.6.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

वर्ष 2009–14 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान के जरिये सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की स्थिति नीचे **तालिका 1.16** में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज , विश्वविद्यालय)	613.07	1940.11	5581.07	8331.34	8420.44
नगर निगम एवं नगर निकाय	997.68	690.21	557.30	873.56	1009.88
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	1395.22	1515.34	2534.41	2595.15	3506.69
विकास एजेन्सियाँ	984.13	394.24	3029.74	3079.26	5683.72
अस्पताल एवं अन्य सहायतार्थ संस्थाएँ	33.44	53.67	25.00	0.00	67.12
अन्य संस्थाएँ	356.33	28.25	2716.16	2574.43	247.16
योग	**4379.87**	**4621.82**	**14443.68**	**17453.74**	**18935.01**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	13.44	12.09	31.06	32.05	30.31

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वर्ष 2012–13 में वित्तीय सहायता ₹ 17454 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 18935 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1481 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्था (₹ 89 करोड़), नगर निगम तथा नगर निकाय (₹ 136 करोड़) तथा विकास एजेन्सियों (₹ 2604 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। तथापि अन्य संस्थाओं की सहायता में ₹ 2327 करोड़ की कमी आई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

सामान्यतः राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय के गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन अवयवों पर निर्भर करता है, जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता एवं प्रभाव (चुनिंदा सेवाओं के लिए लागत–परिणाम संबंध का आकलन) ।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक प्रक्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश मुख्य सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.17 वर्ष 2013–14 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.17: वर्ष 2010–11 तथा 2013–14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई / जी. एस.डी.पी.	डी.ई# / ए.ई.	एस.एस. ई / ए.ई.	सी.ई. / ए.ई.	शिक्षा / ए.ई.	स्वास्थ्य / ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2010–11*	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
बिहार का औसत (अनुपात) 2010–11	23.83	67.64	33.31	18.96	16.99	3.44
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2013–14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
बिहार का औसत (अनुपात) 2013–14	22.53	69.77	36.56	18.12	19.47	3.33

* *जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के अनुसार*
ए.ई– संचयी व्यय, डी.ई.–विकास व्यय, एम.एस.ई–सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई–पूँजीगत व्यय,
\# *डी.ई.: विकासात्मक व्यय में शामिल है: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण तथा अग्रिम*

(स्त्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु सांख्यिकी एवं आर्थिक निदेशालय, बिहार सरकार)

1.7.2 व्यय उपयोगिता की दक्षता

विकास शीर्षों[6] पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स[7] के प्रावधान पर बल दे। विकासात्मक व्यय[8] के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंवित होता है । कुल व्यय पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात, व्यय का बेहतर दक्षता होगा ।

चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता की स्थिति **तालिका 1.18** में दर्शायी गयी है।

[6] *विकास शीर्ष के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।*

[7] *कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते है कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि–व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि।*
मेरिट गुड्स वे सौदा है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है। ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुर्पुदगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल है।

[8] *व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर–विकास व्यय के रूप में अलग–अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है । विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर–विकास व्यय माना गया है ।*

तालिका 1.18 चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता

(प्रतिशतता)

प्रक्षेत्र	2012-13		2013-14	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
समाजिक सेवाएँ (एस.एस.)				
सामान्य शिक्षा	2.00	35.77	4.67	33.52
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	23.45	79.64	17.88	74.76
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	10.92	8.90	17.69	7.87
योग (एस.एस.)	**5.87**	**36.80**	**8.51**	**34.09**
आर्थिक सेवाएँ (ई.एस.)				
कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियाँ	2.81	14.76	13.00	14.93
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	67.97	65.89	63.39	56.27
विद्युत एवं ऊर्जा	5.15	0.00	36.96	0.00
परिवहन	80.05	24.59	74.76	15.44
योग (ई.एस.)	**40.49**	**15.70**	**48.29**	**14.40**
योग (एस.एस.+ई.एस.)	**20.23**	**30.27**	**26.33**	**27.90**

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रक्षेत्रवार व्यय पर विश्लेषण तथा विकासात्मक सूचक से इसका संबंध यह प्रदर्शित करता है कि इन शीर्षों पर कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक–आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय वर्ष 2012–13 में 20.23 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 26.33 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के लिए ठीक है। इन शीर्षो के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2012–13 में 30.27 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 27.90 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकरात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012–13 में 5.87 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 8.51 प्रतिशत हो गयी। कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012–13 में 40.49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 48.29 प्रतिशत हो गयी। तथापि, मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन के अंतर्गत कमी देखी गयी।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी का अंश वर्ष 2012–13 में 36.80 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 34.09 प्रतिशत हो गया जबकि चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी का अंश वर्ष 2012–13 में 15.70 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 14.40 प्रतिशत हो गई । यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में सामान्य शिक्षा (2.25 प्रतिशत) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (4.88 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति, स्वास्थ्य, आवास तथा शहरी विकास (1.03 प्रतिशत) के अंतर्गत एवं आर्थिक सेवाओं में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (9.62 प्रतिशत) तथा परिवहन (9.15 प्रतिशत) के अंतर्गत था।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यो पर निधि के अवरूद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रूके हुए कार्य सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा। **तालिका 1.19** में 31 मार्च 2014 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार सूचनाएँ दी गयी है। सम्मिलित रूप से 227 योजनाओं/परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3129.86 करोड़) को मार्च 2014 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1273.67 करोड़ अवरूद्ध हो गया। अपूर्ण कार्यों की भौतिक प्रगति मार्च 2014[$] को शून्य से 98 प्रतिशत के बीच रही ।

[$] *वित्त लेखा वर्ष 2013–14 का परिशिष्ट – X।*

तालिका 1.19 अपूर्ण परियोजनाओं का विभाग–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग / परियोजना	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2014 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	82	2196.90	955.42
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	69	353.23	131.54
पथ निर्माण	40	432.33	113.50
भवन निर्माण	21	97.90	35.36
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	9	19.38	6.09
ग्रामीण कार्य	5	20.89	23.08
राष्ट्रीय राजमार्ग	1	9.23	8.68
योग	**227**	**3129.86**	**1273.67**

(स्त्रोतः वर्ष 2013–14 के राज्य का वित्त लेखा)

कार्य पूर्ण करने में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बना रहता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के पूर्ण करने में विलंब के कारण परियोजनाओं से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार, समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2014 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 2867.18 करोड़ निवेश किया जो कि **तालिका 1.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश / प्रतिलाभ / उधार की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	856.18	905.24	920.82	941.17	2867.18
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	2.06	2.53	1.40	2.55	2.53
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.24	0.28	0.15	0.27	0.09
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर[9]	6.48	6.87	6.35	5.79	6.28
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ में अंतर (प्रतिशत)	6.24	6.59	6.20	5.52	6.19

(संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 2867.18 करोड़ के निवेश के विरूद्ध केवल ₹ 2.53 करोड़ का प्रतिलाभ हुआ।

जैसा कि उपर्युक्त **तालिका 1.20** में देखा जा सकता है कि इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.21 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2009–14 के दौरान सरकार ने अपने उधार पर 6.35 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। उधार पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ के दर के बीच के अंतर को वर्ष 2010–11 में 2009–10 की तुलना में 0.35 प्रतिशत बढ़ा परंतु वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 में क्रमशः 0.39 प्रतिशत तथा 0.68 प्रतिशत उत्तरोत्तर घटा। तथापि, यह अंतर वर्ष 2013–14 में पुनः 0.67 प्रतिशत बढ़ा।

वर्ष 2013–14 तक विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये ₹ 2867.18 करोड़ में, 48 सरकारी कंपनियों में ₹ 2344.79 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं में ₹ 382.90 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.19 करोड़, नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा साझेदारी में ₹ 3.68 करोड़ का निवेश था । वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 1926.01 करोड़ का निवेश किया । इनमें से सरकारी कंपनियों में ₹ 1924.08 करोड़ का निवेश किया गया।

[9] *ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान* 100/ राजकोषीय उत्तरदायित्व।*

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, समितियों, सरकारी निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है।

तलिका 1.21 31 मार्च 2014 में लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज प्राप्तियों तथा ब्याज भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.21: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण लागत की राशि	2011-12	2012-13	2013-14
पूर्व शेष	16642.19	18525.76	20587.01
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम	1906.08	2085.95	807.38
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	22.51	24.70	15.03
अंतिम शेष	**18525.76**	**20587.01**	**21379.36**
निवल योग	1883.57	2061.25	792.35
ब्याज प्राप्तियाँ	573.70	167.12	269.48
बकाया ऋण तथा अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	3.10	0.81	1.26
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.35	5.79	6.28
ब्याज प्राप्ति तथा ब्याज भुगतान के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-) 3.25	(-) 4.98	(-) 5.02

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के राज्य का वित्त लेखा)

प्रदत्त ऋण की मात्रा वर्ष 2012–13 में ₹ 2085.95 करोड़ से घटकर वर्ष 2013–14 में ₹ 807.38 करोड़ हो गयी। पुनर्भुगतान भी वर्ष 2012–13 में ₹ 24.70 करोड़ से घटकर वर्ष 2013–14 में ₹ 15.03 करोड़ हो गयी। ब्याज प्राप्ति की वसूली कम होने के कारण ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर वर्ष 2012–13 में 4.98 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 5.02 प्रतिशत हो गया।

1.8.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.22 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है ।

तालिका 1.22 नगद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2014 को	वृद्धि/कमी
नगद शेष	3715.58	6156.39	2440.81
नगद शेष से निवेश (क से घ)	2074.37	4038.80	1964.43
क. भारत सरकार का कोषागार विपत्र	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	2069.72	4034.15	1964.43
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
उद्दिष्ट शेष (क से ख) से निवेश का निधिवार विखंडन	931.48	1367.75	436.27
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	931.38	1367.65	436.27
ब्याज प्राप्ति	128.42	233.07	104.65
* *वृद्धि नहीं, 0.0961 का पूर्णांक आँकड़ा*			

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 3715.58 करोड़ से बढ़कर ₹ 6156.39 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2014 को ₹ 2069.72 करोड़ से बढ़कर ₹ 4034.15 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष में उद्दिष्ट शेष में निवेश ₹ 436.27 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2013–14 के दौरान निवेश पर

₹ 233.07 करोड़ ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2012–13 के दौरान वसूले गये ब्याज (₹ 128.42 करोड़) से ₹ 104.65 करोड़ ज्यादा था।

1.9 परिसंपत्ति एवं देयता

1.9.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं के संघटक तथा वृद्धि

सरकार की वर्त्तमान लेखा प्रणाली में सरकारी भूमि और भवन जैसे अचल सम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है। तथापि, सरकारी लेखा में सरकार की वित्तीय देयता तथा की गई व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्ति का लेखांकन होता है। ***परिशिष्ट 1.8*** 31 मार्च 2013 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 तक की ऐसी देयता तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

कुल देयता राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयता है। संचित निधि देयता में आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा विशिष्ट उद्देशीय परिवहन तथा अन्य समकक्ष साधनों द्वारा उधारी शामिल है जिसमें पुनर्भुगतान की देनदारी राज्य सरकार की होती है।

1.9.2 *राजकोषीय देयता*

तालिका 1.23 में राज्य के बकाये राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

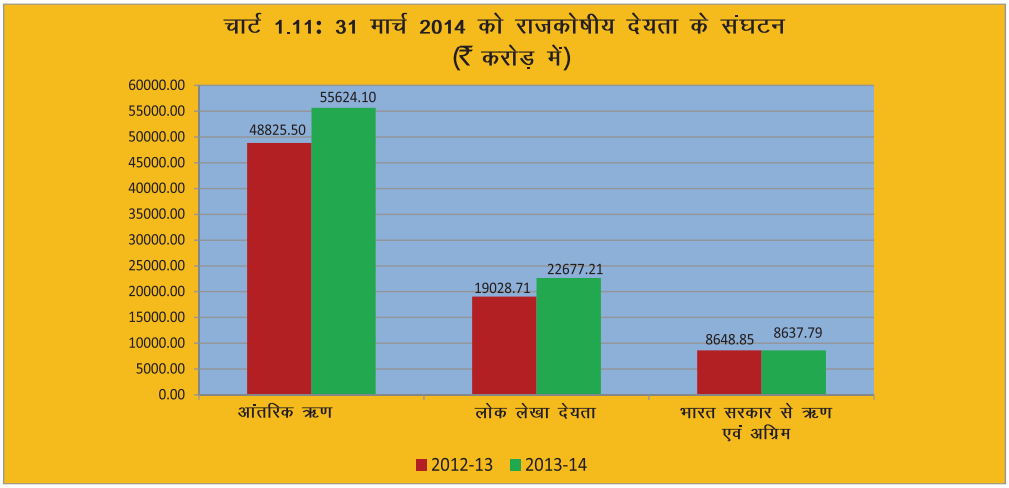
तालिका : 1.23 बकाया राजकोषीय देयता[10]

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राशि (₹ करोड़ में)	58689.91	62858.01	67811.84	76503.07	86939.10
वृद्धि दर	6.75	7.10	7.88	12.82	13.64
राजकोषीय देयता का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.360	0.309	0.279	0.258	0.253
राजस्व प्राप्ति	1.652	1.412	1.321	1.284	1.261
स्वयं के संसाधन	6.013	5.791	5.022	4.400	4.043
राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.465	0.285	0.404	0.590	0.861
राजस्व प्राप्ति	0.875	0.280	0.517	0.798	0.869
स्वयं के संसाधन	0.203	0.633	0.323	0.445	0.576

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य का वित्त लेखा)

राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2009–10 में ₹ 58689.91 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 86939.10 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयता का संघटक **चार्ट 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.11: 31 मार्च 2014 को राजकोषीय देयता के संघटन
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

[10] *बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत से ऋण, भविष्य निधि आदि तथा अन्य देयता।*

उपर्युक्त **तालिका 1.23** में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयता वर्ष 2012–13 में ₹ 76503.07 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 86939.10 करोड़ हो गया। राजकोषीय देयता की वृद्धि दर 2012–13 के 12.82 प्रतिशत से बढ़कर 2013–14 में 13.64 प्रतिशत हो गया। तथापि राजकोषीय देयता एवं जी.एस.डी.पी. अनुपात वर्ष 2009–10 में 36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 के दौरान 25.33 प्रतिशत हो गया तथा यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रतिमान 43 प्रतिशत से कम था। यह चालू वर्ष में एफ.आर.बी.एम के लक्ष्य 43 प्रतिशत से भी बहुत कम था। वर्ष 2013–14 के अंत में देयता राजस्व प्राप्ति का 1.26 गुणा तथा राज्य के अपने स्रोतों का 4.04 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्पलावकता पूर्व वर्ष के दौरान 0.590 की तुलना में इस वर्ष के दौरान 0.861 थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजकोषीय देयता के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति राज्य के अपने देयताओं को निर्वाह करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन

आरक्षित एवं आरक्षित निधि का सृजन राज्य सरकार (लोक लेखा) के लेखा में **'ञ'** प्रक्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों हेतु किया जाता है। इन निधियों में भारत अथवा राज्य अथवा बाहरी एजेंसियों द्वारा संचित निधि योगदान एवं अनुदान द्वारा पोषित होते है। इसके अतिरिक्त इन निधियों को ब्याज वाली निधि तथा बिना ब्याज निधि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः आरक्षित निधि निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत होते है जो उन स्त्रोत पर आधारित होते है जिसमें से पोषित होते है।

- अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा साथ ही लोक अभिदान जैसेः केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी से बनी निधि, से संचित की गयी निधि।
- विशिष्ट उदेश्यों जैसे शून्यह्रास निधि हेतु की गयी व्यय के लिए संचय प्रदान करने हेतु भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से संघ/राज्य द्वारा अलग रखी गयी राशि से संचित की गयी।
- राज्य सरकार को बाह्य एजेंसियो द्वारा दी गयी योगदान से संचित की गयी निधि।

वित्त लेखा के अनुसार, राज्य सरकार के लेखा में छह आरक्षित निधि[11] सृजित किये गये तथा उनका संधारण किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

इस निधि का प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2013 को ₹ 1792.38 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 387.21 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 124.90 करोड़ का संवितरण किया गया जिससे 31 मार्च 2014 को ₹ 2054.69 करोड़ का शेष रह गया। यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹ 387.21 करोड़ में से केवल ₹ 124.90 करोड़ (32 प्रतिशत) का उपयोग किया गया जो अनावश्यक प्रावधान को सूचित करता है।

ऋण–निक्षेप निधि

वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक शेष ₹ 931.38 करोड़ था तथा ₹ 436.27 करोड़ की राशि निक्षेप निधि निवेश लेखा में निवेषित की गयी। निक्षेप निधि में 31 मार्च 2014 को अंत शेष ₹ 1367.65 करोड़ था ।

[11] *राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास तथा कल्याण निधि, सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ एवं मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि । वर्ष के दौरान शेष निधियों में कोई लेन–देन नहीं है। इसलिए इसपर कोई टिप्पणी नहीं है ।*

1.9.4 आकस्मिक देयता

• प्रत्याभूति की स्थिति

यदि उधार लेने वाले जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होती है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गयी गत तीन वर्षो की प्रत्याभूति की स्थिति **तालिका 1.24** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.24: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2011-12	2012-13	2013-14
प्रत्याभूत अधिकतम राशि	2049.03	2046.44	2586.84
प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1092.34	1089.23	1090.23
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	3.99 (*51320*)	3.44 (*59567*)	3.75 (*68919*)
(कोष्ठक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते है)			

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य का वित्त लेखा)

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 9 की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सरकार ने वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति के संबंध में स्थिति/सूचना प्रस्तुत नहीं किया तथा मार्च 2014 के अंत तक प्रत्याभूत अधिकतम राशि पूर्व वर्ष से ₹ 540.40 करोड़ ज्यादा कर दी गई । 31 मार्च 2014 को प्रत्याभूति की ₹ 1090.23 करोड़ की बकाया राशि मुख्यतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (₹ 500 करोड़), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 194.68 करोड़), बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़) तथा क्रेडिट सहकारी (₹ 157.89 करोड़) से संबंधित था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोई भी देयता से मुक्ति हेतु प्रत्याभूति शुल्क के जरिये प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

• ऑफ–बजट उधारी

सरकारी कंपनी/निगम राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधि उधार लेती है। इस तरह का कई उधारी कभी–कभी राज्य सरकार का देयता हो जाता है जिसे ऑफ–बजट उधारी कहा जाता है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि वर्ष 2009–14 के दौरान इसने किसी ऑफ–बजट उधारी का सहारा नहीं लिया।

1.9.5 बाजार उधारी सहित सरकार की उधारी का विश्लेषण

वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य द्वारा नकद शेष तथा की गयी उधारी, **तालिका 1.25** में दी गयी है।

तालिका 1.25: नगद शेष एवं उधारी की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल उधारी (बाजार उधारी सहित)	राजकोषीय घाटा से अधिक उधारी	मार्च का नकद शेष
2009-10	5273	6842	1569	2291
2010-11	3971	6871	2900	2735
2011-12	5914	7660	1746	1509
2012-13	6545	10850	4305	3716
2013-14	8351	30249	21898	6156

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वृहत नकद शेष रहने के बावजूद राजकोषीय घाटा से उधारी ₹ 1569 करोड़, ₹ 2900 करोड़, ₹ 1746 करोड़, ₹ 4305 करोड़ तथा ₹ 21898 करोड़ क्रमशः वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के

दौरान बढ़ गया। वर्ष 2009–14 के दौरान ₹ 1509 करोड़ एवं ₹ 6156 करोड़ के बीच वृहत नकद शेष को राजकोषीय घाटा के स्तर तक हुए आधिक्य उधारी पर आरोपित की जा सकती थी जिसे **तालिका 1.25** में दर्शायी गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटा सामान्यतः राज्य द्वारा उधारी के माध्यम से पोषित होता है । ऋण की वृद्धि दर, ऋण पुनर्भुगतान देयता, लोक ऋण पुनर्भुगतान, चालू व्यय को वित्त पोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता (पूँजीगत व्यय नहीं) सरकारी प्रतिभूति पर एस.पी.भी द्वारा बढ़ाये गये ऋण के कारण तथा ऋण चुकाने पर वचनबाध्यता नीचे प्रदर्शित की गयी है।

• *ऋण विवरणिका*

प्रति व्यक्ति ऋण को दिखाने के लिए विगत पाँच वर्षो का समयवार विश्लेषण नीचे **तालिका 1.26** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.26 : ऋण विवरणिका : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण विवरणिका के प्रदर्शक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उधार ली गयी राशि की निवल उपलब्धता[$]	28	71	651	4263	4977
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो का राज्य का वित्त लेखा)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता वर्ष 2012–13 में ₹ 4263 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 4977 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2013–14 में वित्त लेखा की विवरणी संख्या 6 के अनुसार, सरकार द्वारा ₹ 9357 करोड़ का आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ₹ 550 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम, ₹ 20342 करोड का अन्य देनदारियाँ ली गई, तथा ₹ 2559 करोड़ का आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार को ₹ 561 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान किया, ₹ 16694 करोड़ मूल्य की अन्य देनदारियों को चुकाया तथा ₹ 4226 करोड़ मूल्य के आंतरिक ऋण पर ब्याज, केन्द्र सरकार से ₹ 434 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज तथा ₹ 790 करोड़ मूल्य के लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज का पुनर्भुगतान किया।

• *ऋण निर्वाहता*

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता[12] का निर्धारण करते है। प्रतिवेदन का यह खण्ड, ऋण स्थिरता,[13] गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता,[14] उधार ली गई

[$] *उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ–(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैरयोजना शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।*

[12] *किसी समयावधि तक ऋण और जी. एस. डी. पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण की चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।*

[13] *स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार (जी. एस. डी. पी. वृद्धि दर ब्याज दर) एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक घाटा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है तो ऋण जी. एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक घाटा के साथ विस्तार, ऋणात्मक हो तो ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात अंततः घटेगा।*

[14] *राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एंव बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।*

राशियों की निवल अनुपलब्धता[15], ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण निर्वाहता की संवहनीयता का आकलन करता है।

तालिका 1.27 वर्ष 2009–14 की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण निर्वाहता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.27 ऋण निर्वाहता : सुचकांक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार+प्रारंभिक अधिशेष)	(-) 226.39	9449.84	7910.80	8318.02	5419.37
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	(-)1524.00	3372.00	(-) 1485.07	282.02	1331.24
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	28.00	71.00	651.00	4263.00	4977.00
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व पारित अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा* (वर्षो में)					
शून्य से एक वर्ष (2014)					1198.64 (3.83)
एक से तीन वर्ष (2015–2017)					2396.76 (7.66)
तीन से पाँच वर्ष (2018–2019)					7488.93 (23.94)
पाँच से सात वर्ष (2020–2021)					4319.00 (13.81)
सात वर्ष से अधिक (2022 के आगे)					15881.00 (50.76)
कुल बाजार ऋण					***31284.33 (100.00)#***

** तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2013–14 में वित्तीय लेखा में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।*
कोष्ठक में दिये आँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते है ।

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष का राज्य का वित्त लेखा)

प्रत्येक सूचक की स्थिति निम्नवत थी–

यदि प्रारंभिक घाटा के साथ–साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगा या ऋण यथावत स्थिर होगा। वर्ष 2011–12 की तुलना में परिणाम विस्तार के साथ प्रारंभिक अधिशेष ₹ 7910.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 8318.02 करोड़ हुआ यह दर्शाता है कि ऋण निर्वाहता में वृद्धि हुई। परन्तु वर्ष 2013–14 में इसमें कमी हुई।

तालिका 1.27 के अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता यह दर्शाता है कि कुल ऋण का लगभग 35.43 प्रतिशत आने वाले पाँच वर्षो के अंदर पुनर्भुगतान किया जाना था तथा शेष 64.57 प्रतिशत का भुगतान इसके बाद होना था। राज्य, वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान ₹ 7488.93 करोड़, वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 4319 करोड़ तथा वर्ष 2022 के दौरान एवं उसके बाद ₹ 15881 करोड़ का ऋण पुनर्भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। आने वाले वर्षो में राज्य को ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि सूचित करने के लिए अपना ऋण निर्वाहता सुधारण होगा। इन क्रमिक वर्षो में परिपक्व ऋण के अतिरिक्त और उधारी नहीं लेना पड़े इसके लिए सरकार को ऋण पुनर्भुगतान हेतु सुदृढ़ योजना तैयार करना होगा।

1.10.1 ऋण सुदृढ़ीकरण तथा राहत सुविधा

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से उपलब्ध ऋण पर ब्याज राहत तथा भारत सरकार द्वारा बकाया ऋण का बट्टे खाते में डालना तथा राज्य विशिष्ट अनुदान को वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक की अवधि में

[15] *उधार निधियों की निवल उपलब्धता – इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मोचन अनुपात (मूलधन, ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।*

ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात के लक्ष्य को सम्मिलित करने हेतु एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में आवश्यक संशोधन/अधिनियम लाकर राज्यो को उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सरकार ऋण –जी.एस.डी.पी. अनुपात को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2006 जो 2010 में सुधारा गया के अनुसार 2012–13 में 44.60 तथा वर्ष 2013–14 में 43.00 की सीमा के भीतर रखने हेतु सक्षम था। वर्ष 2013–14 के दौरान बिहार सरकार ने ऋण सुदृढ़ीकरण तथा राहत सुविधा प्राप्त किया, भारत सरकार के एन.एस.एस.एफ. ऋण पर ब्याज पर राहत के लिए ₹ 12.60 करोड़ के रूप में दिये गये।

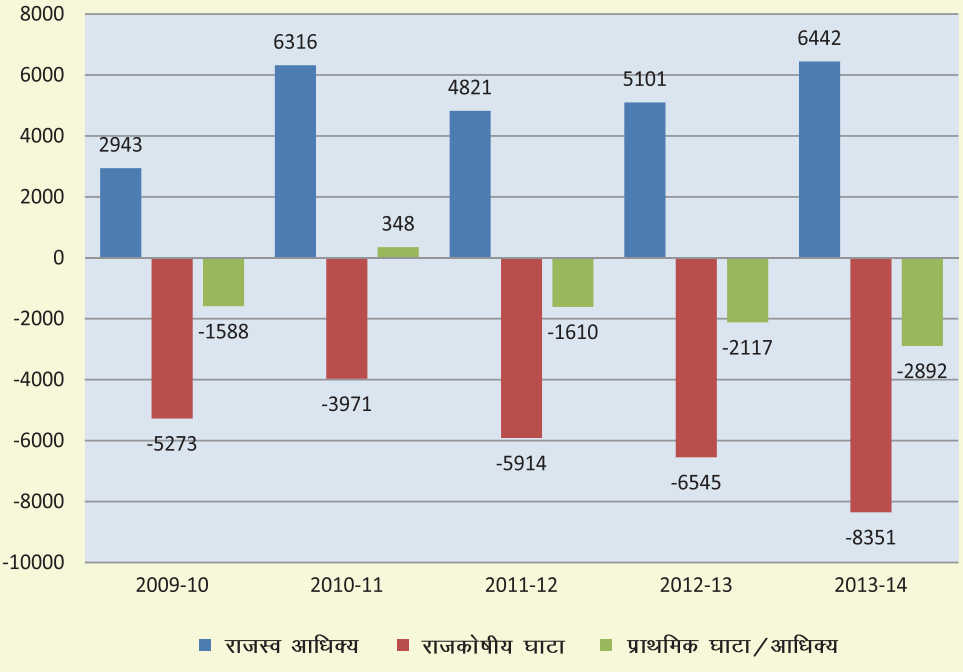
1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने–राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटा–किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है । यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य को वर्ष 2009–10 से राजस्व अधिशेष प्राप्त था तथा इसके बाद भी राजस्व अधिशेष बना रहा। **चार्ट 1.12** से प्रकट होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 280 करोड़ तथा वर्ष 2013–14 में ₹ 1341 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 6442 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेप ₹ 6809 करोड़ से काफी कम था।

चार्ट 1.12: घाटे की प्रवृत्ति के सूचक
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.28: वर्ष 2009–14 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.018	0.031	0.020	0.017	0.019
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.032	(-) 0.020	(-) 0.024	(-) 0.022	(-) 0.024
प्राथमिक अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.010	0.002	(-) 0.007	(-) 0.007	(-) 0.008

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.12 एवं तालिका 1.28 में दर्शाया गया है कि वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1341 करोड़ बढ़ गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2012–13 में ₹ 6545 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 8351 करोड़ हो गया। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.024), वर्ष 2013–14 हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः ₹ 2117 करोड़ का प्रारंभिक घाटा (2012–13) बढ़कर ₹ 2892 करोड़ हो गया (2013–14) ।

1.11.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्तपोषण प्रतिमान

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पोषण प्रतिमान में समग्र परिवर्त्तन हुए है जिसे **तालिका 1.29** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: राजकोषीय घाटा के घटक तथा इसके वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटा की संरचना		**(-)5273.01**	**(-) 3970.31**	**(-) 5914.90**	**(-) 6545.26**	**(-) 8351.92**
1	राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	2942.66	6316.40	4820.68	5100.51	6441.42
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-)7332.09	(-) 9195.94	(-) 8852.01	(-) 9584.52	(-)14001.00
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)883.58	(-) 1090.77	(-) 1883.57	(-) 2061.25	(-) 792.34
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान*						
1	बाजार उधारी	2501.91	1707.78	2593.90	5763.88	5346.77
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 49.35	316.03	361.08	23.30	(-) 11.07
3	एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति	1472.52	1533.39	505.56	292.87	631.52
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	226.32	285.20	244.96	403.96	820.31
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 262.86	252.70	(-) 2.13	(-) 215.55	(-) 297.90
6	जमा एवं अग्रिम	(-) 134.15	50.94	932.91	2199.05	3668.40
7	उचंत तथा विविध	(-) 290.89	1830.68	1238.71	(-) 1936.34	(-) 2007.59
8	प्रेषण	(-) 54.82	79.96	(-) 36.82	19.51	(-)19.01
9	आरक्षित निधि	(-) 41.69	23.72	335.93	275.94	262.31
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	74.02	-	-
11	**संपूर्ण अधिशेष/घाटा**	**(-) 1906.02**	**6080.37**	**6248.12**	**6826.62**	**8393.74**
12	नकद शेष में वृद्धि/कमी #		(-) 2110.06	333.22	281.36	41.82
13	**सकल राजकोषीय घाटा**		**3970.31**	**5914.90**	**6545.26**	**8351.92**

**ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बर्हिगमन के निवल से विवरण*
नगद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.30: वर्ष 2013–14 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्तपोषण देने वाले प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारी	6500.00	1153.23	5346.77
2	भारत सरकार से ऋण	549.66	560.73	(-) 11.07
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूति	1386.49	754.97	631.52
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1470.94	650.63	820.31
5	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1072.30	1370.20	(-) 297.90
6	जमा एवं अग्रिम	18609.37	14940.97	3668.40
7	उचंत तथा विविध	122952.12	124959.71	(-) 2007.59
8	प्रेषण	12373.58	12392.59	(-)19.01
9	आरक्षित निधि	823.48	561.17	262.31
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन			-
11	**संपूर्ण अधिशेष (–) घाटा (+)**			**8393.74**
12	नकद शेष मे वृद्धि/कमी			41.82
13	**सकल राजकोषीय घाटा**			**8351.92**

(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, 2013–14)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता हैं, वह वर्ष 2012–13 में ₹ 6545.26 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 8351.93 करोड़ हो गया परंतु यह बजट प्राक्कलन (₹ 8769.45 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था। वर्ष 2012–13 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 68.29 प्रतिशत था परंतु यह वर्ष 2013–14 के दौरान घटकर 59.65 प्रतिशत हो गया। **तालिका 1.30** में देखा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत सरकार से ऋण एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति वित्तीय संस्था से ऋण, जमा एवं अग्रिम, उचंत तथा आरक्षित निधि में वृद्धि हुई परंतु बाजार उधारी तथा लघु बचत, भाविष्य निधि आदि में कमी आई।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात तथा प्रारंभिक घाटा का प्रारंभिक राजस्व घाटा[16] में अपघटन तथा पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते है। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात उस विस्तार को बताता है जो चालू उपयोग हेतु उधार ली गयी निधि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लागातार घट रहा था तथा उधारी का एक अंश (राजकोषीय देयता) के पास कोई परिसंपत्ति पूर्तिकर नहीं था। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (**तालिका 1.31**) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

[16] *प्रारंभिक राजस्व राज्य के घाटा गैर ब्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्रारंभिक व्यय को पूरा करने में समग्र है ।*

तालिका 1.31: प्रारंभिक घाटा/अधिशेष–कारकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति[17]	प्रारंभिक राजस्व व्यय[18]	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारंभिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (–) अधिशेष (+)	प्रारंभिक घाटा (–) अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	35540	28899	7332	897	37128	6641	(-)1588
2010-11	44544	33897	9196	1103	44196	10647	(+)348
2011-12	51343	42195	8852	1906	52953	9148	(-)1610
2012-13	59592	50038	9585	2086	61709	9554	(-)2117
2013-14	68934	57018	14001	807	71826	11916	(-)2892

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2009–10 में ₹ 6641 करोड़ का प्रारंभिक राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2010–11 में बढ़कर ₹ 10647 करोड़ हो गया परंतु वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में घटकर क्रमशः ₹ 9148 करोड़ तथा ₹ 9554 करोड़ हो गया। तथापि, वर्ष 2013–14 में प्रारंभिक राजस्व अधिशेष एक बार फिर बढ़कर ₹ 11916 करोड़ हो गया। विवरण से प्रकट होता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ, प्रारंभिक राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्तियों के कुछ अंश का उपयोग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में हुआ। यद्यपि वर्ष 2010–11 में राज्य का प्रारंभिक अधिशेष ₹ 348 करोड़ था तथापि यह वर्ष 2013–14 में ₹ 2892 करोड़ के प्रारंभिक घाटे के रूप में परिणत हुआ।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2013–14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, भारत के 11.54 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के विरूद्ध 15.84 प्रतिशत था।

 सरकार को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास को बनाए रखना चाहिए।

- वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 6441.42 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 1806.00 करोड़ हो गया। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.88 प्रतिशत था, जो कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा की सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2012–13 के 2.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 2.4 प्रतिशत हो गया।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को निधि का हस्तांतरण

- वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को सीधे ₹ 9464.50 करोड़ हस्तांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में चौदह प्रतिशत ज्यादा था। मुख्य प्राप्तकर्ताओं में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) (₹ 4606.37 करोड़ अर्थात 49 प्रतिशत), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (₹ 2610.13 करोड़ अर्थात 28 प्रतिशत) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 725.72 करोड़ अर्थात 8 प्रतिशत)।

 भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को इस्तांतरित निधि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित लेखा और निगरानी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

[17] *राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है ।*

[18] *प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं ब्याज भुगतान में अंतर है ।*

संसाधन संग्रहण

- राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 68918.65 करोड़) में वर्ष 2013–14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 15.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट प्राक्लन से 11147.82 करोड़ कम था।

 सरकार को बजट दस्तावेज में प्रस्तुत प्राप्तियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

व्यय की गुणवता

- वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य की संचयी व्यय की प्रतिशतता के सापेक्ष में सामाजिक क्षेत्र में व्यय, सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत व्यय से कम था।

- वर्ष 2013–14 में पूँजीगत परिव्यय 2012–13 के ₹ 9585 करोड़ से बढ़कर ₹ 14001 करोड़ हो गया, जबकि चुनिंदा आर्थिक सेवाओ पर पूँजीगत परिव्यय कुल व्यय का वर्ष 2012–13 के 40.49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 48.29 प्रतिशत हो गया। तथापि इनमें कमी मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और परिवहन में देखा गया।

 सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुखता के साथ सामाजिक क्षेत्र व्यय को अधिक प्राथमिकता देना चाहिए ताकि ये सामान्य श्रेणी के राज्यों के बराबर हो सके।

- सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण के रूप में वृहद् राशि दी जाती है परन्तु वसूली नगण्य होने के कारण मार्च 2014 तक पुनर्भुगतान हेतु वृहद शेष ₹ 21379.36 करोड़ बकाया था।

 बकाया ऋण वसूली हेतु सरकार द्वारा उन संस्थाओं/संगठनों के विरूद्ध उचित कदम उठानी चाहिए जो सरकार द्वारा प्राप्त ऋण की मूल एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं करते है।

राजकोषीय देयता

- राज्य की राजकोषीय देयता 2009–10 के ₹ 58689.91 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 86939.10 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में ₹ 1341 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जबकि राजकोषीय घाटा 2012–13 के ₹ 6545 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 8351 करोड़ हो गए। तथापि वर्ष 2013–14 में राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलु उत्पाद का अनुपात (0.024), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था। राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया है।

 राज्य द्वारा किसी भी देयता निर्वहन हेतु एक प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करना चाहिए।